न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट)/ अपर सत्र
न्यायाधीश, कक्ष संख्या-II, भदोही ज्ञानपुर।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-1191/2022
सी.एन.आर.नं० UPSN010023642022
लालजी----------बनाम----------हीरालाल आदि
परिवाद संख्या -01/2017
धारा-323,504,506 भा०द०सं० व
धारा-3(1)10 एस.सी./एस.टी.एक्ट,
थाना-ज्ञानपुर, जिला-भदोही।

दिनांक-14.11.2022

नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई हेतु पेश हुआ। अभियुक्त भरत आज दिनांक 14.11.2022 तक अंतरिम जमानत पर है। प्रार्थी/अभियुक्त भरत पुत्र हीरालाल बिन्द, निवासी-नन्दापुर, थाना-ज्ञानपुर, जनपद भदोही को परिवाद सं०-01/2017 धारा-323,504,506 भा०द०सं० व धारा 3(1)10 एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना-ज्ञानपुर, जिला-भदोही के मूल जमानत प्रार्थना पत्र सुना गया।

अभियुक्त की ओर विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में तर्क दिया है कि प्रार्थी ने वादी मुकदमा व उसके परिवार वालो को न तो कभी मारा पीटा, न कभी गाली गुसा दिया , न जान से मारने की धमकी दिया , न वादी मुकदमा के घर कभी गया और न ही जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। प्रार्थी अपने खेतों की सिंचाई सरकारी ट्यूबेल से करते है। ट्यूबेल से पानी लेने प्रार्थी के पिता हीरालाल गये थे तो वादी मुकदमा व उसके परिवार के लोग प्रार्थी के पिता हीरालाल को मारे पीटे थे और धान की फसल को सुखवाकर प्रार्थी का बहुत बड़ा नुकसान किये थे जिससे प्रार्थी द्वारा वादी मुकदमा के विरूद्ध फौजदारी वाद सं० 600/2010, अपराध सं० 166/2009 सरकार बनाम लालजी आदि, अतंर्गत धारा 504,506,427 भा०द०सं० विचाराधीन है। उसी मुकदमे से बचने के लिए प्रार्थी व उसके परिवार वालों पर झूठा व फर्जी मुकदमा कायम कराया है जिसकी कोई असलियत नहीं है। प्रार्थी या उसके परिवार के लोगों ने वादी मुकदमा के किसी धान की फसल को अपने पशुओं से नहीं चाराया है न कोई नुकसान किया और न उसके घर में घुसकर सामान को तीतर बीतर या तोड़ा-फोडा है। प्रार्थी बेगुनाह है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत देने को तैयार हैं। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

परिवादी मुकदमा पर नोटिस तामील है। परिवादी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के विरूद्ध आपत्ति दाखिल कर कथन किया है कि दिनांक 19.10.2016 को विपक्षीगण हीरालाल बिन्द पुत्र दुखरन बिन्द व भरथ बिन्द, सुबरा देवी ने अपनी से भैंस परिवादी का धान चरा रहे थे, मना करने पर परिवादी के घर में घुसकर मारे-पीटे थे और घर में रखे सामानों को तोड़ फोड़कर नष्ट कर दिये थे , जाति

सूचक शब्दों से अपमानित किये थे, गाली गुसा देते हुए जान से मारने धमकी दिये थे। अभियुक्त यह धमकी दे रहे है कि पहले जमानत हो जाने दो इसके बाद परिवादी को व परिवादी के लड़के व भाईयों का हाथ पैर तोड़कर फर्जी मुकदमा में फंसा दूंगा , क्योंकि मैं थाना ज्ञानपुर का चौकीदार हूँ। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए।

परिवादिनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को जमानत प्रार्थनापत्र सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

उभय पक्षों को सुना एवं पत्रावली परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण परिवाद पर संस्थित है और न्यायायल द्वारा अभियुक्त की तलबी की गयी है। उभयपक्षों के मध्य भैंस द्वारा धान की फसल को चराने को लेकर विवाद है। उक्त के अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण में कोई आघाता आख्या नहीं है और न ही अभियुक्त का कोई आपाराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है और न ही कोई पूर्व दोष सिद्धि है एवं परिवादी के विरूद्ध क्रास केस दर्ज है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सात वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय है तथा सहअभियुक्त की हीरालाल की जमानत हो चुकी है।

अतः मामले के तथ्य एंव परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण दोष पर विचार व्यक्त करते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त प्रतीत होता हैं तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त भरत पुत्र हीरालाल बिन्द,निवासी-नन्दापुर, थाना-ज्ञानपुर, जनपद भदोही, परिवाद सं०-01/2017 धारा-323,504,506 भा०द०सं० व धारा 3(1)10 एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना-ज्ञानपुर, जिला-भदोही का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को 25,000/- रूपये की दो जमानतें व इसी धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र निष्पादित किये जाने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(असद अहमद हाशमी)
अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश
(एस.सी./एस.टी.एक्ट), कक्ष सं०-II
भदोही-ज्ञानपुर।

दिनांक-14.11.2022

Digitally signed by Asad Ahmad Hashmi
Date: 2022.11.15 13:27:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court